



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16102026-277221
CG-DL-E-16102026-277221

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 632]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 16, 2026/आश्विन 24, 1948

No. 632]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 16, 2026/ASVINA 24, 1948

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर, 2026

फा. सं. आरसीडी-09002/3/2026-रेगुलेटरी-एफ.एस.एस.ए.आई.—खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का संख्यांक 34) की धारा 92 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खाद्य सुरक्षा और मानक (शिशु पोषण के लिए खाद्य) विनियम, 2020 में और संशोधन करने के लिए कतिपय विनियमों का निम्नलिखित प्रारूप बनाने का प्रस्ताव करता है, जो कि इससे प्रभावित होने वाले संभावित सभी व्यक्तियों को सूचना देने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 92 की उपधारा (1) की अपेक्षा के अनुसार एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है; और एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर उस तारीख से साठ दिनों की अवधि समाप्त होने के पश्चात् विचार किया जाएगा, जिस तारीख को इस अधिसूचना को प्रकाशित करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई जाएंगी।

यदि कोई आक्षेप या सुझाव हो, तो उसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002 को अथवा regulation@fssai.gov.in पर ई-मेल द्वारा भेजा जा सकता है।

उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाले आक्षेपों या सुझावों पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप विनियम

1. इन विनियमों को खाद्य सुरक्षा और मानक (शिशु पोषण के लिए खाद्य) संशोधन विनियम, 2026 कहा जा सकता है।
2. खाद्य सुरक्षा और मानक (शिशु पोषण के लिए खाद्य) विनियम, 2020 के विनियम 3, उप-विनियम 6 में, पैराग्राफ के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

‘परंतु 6 माह तक की आयु के शिशुओं के लिए आशयित उत्पादों में सुक्रोज और फ्रक्टोज न मिलाए जाएं।’

राजित पुनहानी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./401/2026-27]

नोट - मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4 में अधिसूचना संख्या फा.सं. एसटीडीएस/03/नोटिफिकेशन (आईएफआर)/एफएसएसएआई-2017, दिनांक 4 दिसंबर, 2020 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् अधिसूचना संख्या फा.सं. एसटीडी/एसपी-05/टी(आईएफआर-01), दिनांक 30 अगस्त, 2022 द्वारा संशोधित किए गए थे।

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA**NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th October, 2026

F. No. RCD-09002/3/2026-Regulatory-FSSAI.—The following draft of certain regulations, further to amend the Food Safety and Standards (Foods for Infant Nutrition) Regulations, 2020, which the Food Safety and Standards Authority of India proposes to make with the previous approval of the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), is hereby published as required by sub-section (1) thereof, for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft regulations shall be taken into consideration after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public.

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India, FDA Bhawan, Kotla Road, New Delhi- 110002 or sent on email at regulation@fssai.gov.in.

Objections or suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft regulations before the expiry of the period so specified, shall be considered by the Food Safety and Standards Authority.

Draft Regulations

1. These regulations may be called the Food Safety and Standards (Foods for Infant Nutrition) Amendment Regulations, 2026.
2. In the Food Safety and Standards (Foods for Infant Nutrition) Regulations, 2020, in regulation 3, in sub-regulation 6, after the para, the following proviso shall be inserted, namely:

‘provided that sucrose and fructose shall not be added in the products intended for infants up to the age of 6 months’

RAJIT PUNHANI, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Ety./401/2026-27]

Note. -The principal regulation were published in the Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, vide notification number F. No. Stds./03/Notification (IFR)/FSSAI-2017, the dated 4th December, 2020 and last amended vide notification number F.No. Std/SP-05/T(IFR-01), dated 30th August, 2022.